मीरजापुर पुलिस
—प्रेस नोट—
दिनांक:10.11.2023
“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत मारपीट व गाली-गलौज करने के 02 आरोपियो को सुनीयी गयी एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन , वाराणसी "राम कुमार" के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर "आर.पी.सिंह" के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन ,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना जिगना पर मारपीट व गाली-गलौज करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। अभियोजन अधिकारी-अम्बरीश कुमार पाण्डेय , विवेचक-उपनिरीक्षक रवीन्द्र कुमार गौतम , पैरोकार-आरक्षी विनोद कुमार व कोर्ट मुहर्रिर-महिला मुख्य आरक्षी मंजू राय द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सिविल जज(जू.डि.)कोर्ट नं0-04 , मीरजापुर-गीतिका सिंह द्वारा थाना जिगना पर पंजीकृत एनसीआर संख्या-116/1991 धारा 323 व 504 भादवि में जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त 1.रामईश्वर व 2.रामसजीवन पुत्रगण रामबरन निवासी बसन्तपट्टी थाना जिगना जनपद मीरजापुर , प्रत्येक को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा एवं एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।